

Order R.R. 12/2026

तारीख हुकम

न्यायालय: अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, बून्दी  
एफ.आई.आर संख्या 490/2025  
दुर्गाशंकर / विरों प्रजापत  
हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

नं० व तारीख  
अहकाम जो इस  
हुकम की तामील में  
जारी है।

दिनांक 16.01.2026

अभियोजन अधिकारी ने थाना सदर बून्दी की एफआईआर सं. 490/2025, धारा 318(4),316(2) भारतीय न्याय संहिता, 2023 में अन्तिम प्रतिवेदन अदम वकू(सिविल नेचर) में पेश किया है। जिस पर कार्यालय की रिपोर्ट ली गई। बाद कार्यालय रिपोर्ट एफ.आर. पत्रावली का अवलोकन किया गया। एफ.आर. दर्ज रजिस्टर हो। परिवादी दुर्गाशंकर आज न्यायालय के समक्ष उपस्थित है, जिसने प्रकरण में आगे कोई कार्यवाही नहीं चाही है।

इस पर एफ.आर. पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। परिवादी की तहरीर पर थाना सदर बून्दी में एफ.आई.आर. सं. 490/2025, धारा 318(4),316(2) भारतीय न्याय संहिता, 2023 में दर्ज हुई थी। जिसमें बाद अनुसंधान अन्तिम प्रतिवेदन अदम वकू (सिविल नेचर)में पेश हुई है। सुना गया। एफ.आर. पत्रावली का अवलोकन किया गया। हस्तगत अंतिम प्रतिवेदन में अनुसंधान अधिकारी ने पूर्ण अनुसंधान किया है। पुलिस द्वारा प्रस्तुत एफ.आर. स्वीकार की जाती है। केस डायरी पी.ओ. को लौटावे।

पत्रावली फैसल आदेश हेतु राष्ट्रीय लोक अदालत दिनांक 14.03.2026 को पेश हो।

अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट  
बून्दी (राज०)

अं 14/03/26 यह पत्रावली भाज  
राष्ट्रीय लोक अदालत से फैसल आदेश  
हेतु स्वी गई। पत्रावली में अब कोई  
कार्यवाही शेष नहीं है। पत्रावली फैसल  
शुमार होकर बाद तत्काल शांति  
माथिलेखागार हो।

अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट  
बून्दी (राज०) अदालत बंच नं०.....

सदस्य

Handwritten notes and signatures on the right side of the page, including the name 'दुर्गाशंकर' and other illegible text.